फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

भागवती बनाम परचा

कार्यवाही अन्तर्गत 128 LR Act

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 42 सन् 2020 (2020/00090)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/2021	पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रा०प० ओडून्द पर स्थित आयोजित शिविर से निस्तारण हेतु लायी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया ग्राम मिश्रों की थियली प०ह० ओडून्द स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 57 रकबा 2.35 हे० एवं आ०नं० 58/2 रकबा 1.9645 हे० भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी अनुसार उक्त आराजीयात प्रार्थिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम मिश्रों की थियली प०ह० ओडून्द स्थित आराजी नम्बर 57 रकबा 2.35 हे० तथा आराजी नम्बर 58/2 रकबा 1.9645 हे० कीता 2 कुल रकबा 4.3145 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते है। शुल्क 1500/- एवं अदरे एक हजार पाँच सौ 20[illegible] तहसीलदार चित्तौड़गढ़ [illegible] प्रकाशन के लिखित [illegible] पत्थरगढ़ी की जावे एवं पा[illegible] प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो।	ता०की० 30 20/10/2021

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:38:04 IST
Reason: SelfAttested